निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 637) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

14 मई 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–09/2009/1113––श्री राम प्रसाद राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता के द्वारा सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज की एक निविदा सं0–01/2008–09 के ग्रुप संख्या–25 के निविदा निष्पादन में बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1204 दिनांक 20.08.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँप प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी, सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री राम प्रसाद राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि एक संवेदक को लाभ पहुँचाने हेतु कार्रवाई की गई, परन्तु सफलीभूत नहीं होने पर निविदा रद्द कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का आदेश दिया गया जबकि नियमानुसार कार्रवाई की जाती तो निविदा रद्द करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए श्री राम प्रसाद राम दोषी पाये गये हैं।

उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री राम प्रसाद राम, तत्कालीन मुख्य अभियंता, पूर्णियॉ को विभागीय अधिसूचना सं0 1886 दिनांक 05.12.14 द्वारा ''पाँच (5%) प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष तक का रोक'' का दण्ड संसूचित किया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री राम प्रसाद राम, सेवानिवृत मुख्य अभियंता द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा उच्च स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उड़नदस्ता जाँच कराने के कारण मामला ससमय प्रकाश में आया और एक संवेदक की निविदा वैध नहीं होने के बावजूद उन्हें कार्य आवंटन हेतु आवश्यक

पूर्ववर्त्ती कार्रवाई श्री राम प्रसाद राम द्वारा की जा रही थी। इसी साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि उनके द्वारा संवेदक को लाभ पहुँचाने की कार्रवाई की गई है। जहाँ तक वित्तीय क्षति के विरूद्ध पेंशन कटौती का प्रश्न है इस संबंध में स्पष्ट है कि सेवानिवृति के उपरान्त पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के अधीन पेंशन संबंधी दण्ड ही दिया जा सकता है। अतएव श्री राम प्रसाद राम का अपील अभ्यावेदन खारिज (अस्वीकार) करते हुए पूर्व में निर्गत दण्डादेश यथावत रखने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम प्रसाद राम, सेवानिवृत मुख्य अभियंता के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए पूर्व में संसूचित दण्डादेश विभागीय पत्रांक 1886 दिनांक 05.12.14 को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 637-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in